greying etc. is facing a probe by the MRTPC on charges of making false and misleading representation;

(b) if so, the outcome of the probe; and

(c) the action proposed to be taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS (SHRI H.R. BHARDWAJ): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The matter is subjudice.

Effect of Rice Bran on Cardio Vascular and Kidney Diseases

2304. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether the rice bran has been found to be a powerful protective agent against cardio vascular and kidney diseases;

(b) whether the same has been tried on the patients also, if so, where;

(c) whether any pharmaceutical firm has come forward to extract rice bran oil; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. C. SILVERA): (a) There are no known studies on the use of rice bran against cardio-vascular and kidney diseases. However, rice bran oil has been found to be effective in reducing serum cholesterol and triglycerides which are known risk factors for cardio vascular diseases. There is no information regarding its protective effect or kidney diseases.

(b) to (d) Government do not have information in the matter.

Vacant post of Advocate General in Army

2305. SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA:
SHRI DIGVIJAY SINGH:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there are vacancies including Judge Advocate General in Judicial Department of Indian Army; and

(b) if so, the details thereof stating its impact on judicial working of Indian Army?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI MALLIKARJUN): (a) Yes, Sir.

(b) As on 21 August, 1995, the vacancies of officers in the Judicial Department of the Indian Army, including those in the formations, are as under:—

(i) Judge Advocate General (JAG) (Maj. Gen)	—	1
(ii) Deputy Judge Advocate General (DJAG) (Colonel)	—	2
(iii) Lt. Cols & below	—	22

The order for appointment of the Judge Adcovate General has since been issued and the officer is likely to join shortly.

There has been no adverse impact on the working in the Judicial Department of the Army because of the aforesaid vacancies.

मलेरिया के लिए भारतीय रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित वैकल्पिक दवा

2306. **श्री सोमपाल:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद ने मलेरिया की एक वैकल्पिक दवा विकसित की है;

(ख) क्या सरकार ने इस दवा की नैदानिक क्षमता का आकलन कराया है और क्या रोगियों पर होने वाले अन्य प्रभावों के संबंध में सभी परीक्षण पूरे कर लिये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं तथा यदि यह दवा सभी कसौटियों पर सही उतरी है, तो सरकार इसके वाणिज्यिक उत्पादन एवं सुगम उपलब्धता हेतु क्या प्रयास कर रही है; और

(घ) क्या सरकार विमाग संबंधी मलेरिया को समाप्त करने के लिए इस दवा को राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के एक भाग के रूप में अपनाने का विचार रखती है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा): (क) से (घ) भारतीय रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद ने मेफ्लोक्विन के निर्माण की प्रक्रिया विकसित की है। राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम निदेशालय ने देश में इस औषध के विस्तारित नैदानिक परीक्षणों का सुझाव दिया है।

आरक्षित वस्तुओं का विनिर्माण करने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सहायक कंपनियों को लाइसेंस दिया जाना

2307. **श्रीमती सुषमा स्वराजः**
श्री राम जेठमलानीः

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 अगस्त, 1995 के दैनिक "ऑबजर्वर" में "100% एम०एन०सी० आर्म्ज से बी लिमिटेड टू प्राइआरिटी एरिया" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि वर्तमान कानूनों में कतिपय कमियों के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों तथा अन्य बड़े उद्योग शत-प्रतिशत सहायक कंपनियों का गठन करके लघु उद्योगों के लिए आरक्षित वस्तुओं हेतु सरकार से लाइसेंस प्राप्त करने में सफल हो रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन वस्तुओं की संख्या कितनी है तथा इनके नाम क्या-क्या हैं, जिनका निर्माण देश में इन कंपनियों द्वारा किया जा रहा है?

प्रधान मंत्री के कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) लघु उद्योगों के संरक्षण व संवर्धन के लिए नीतिगत रक्षोपाय विद्यमान हैं और इनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी व्यवस्था है कि लघु उद्योगों को अन्य औद्योगिक उपक्रमों, चाहे वे स्वदेशी अथवा विदेशी हों, द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है अथवा स्वामित्व में नहीं लिया जा सकता है या अनुषंगी नहीं बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी लघु एकक में विदेशी इक्विटी 24% तक सीमित रहती है। लघु क्षेत्र में 24% से अधिक विदेशी निवेश करने के इच्छुक आवेदकों को अपना लघु उद्योग का दर्जा त्याग देने और औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने अथवा औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आई ई एम) दायर करने की छूट होती है, इनमें जो भी लागू हो। लघु क्षेत्र के लिए ही आरक्षित मदों के संबंध में अधिक इक्विटी की भागीदारी अर्थात 24% से अधिक भागीदारी के लिए अनुमोदन देने पर भी विचार किया जाता है बशर्ते कि प्रस्ताव के साथ 75% उत्पादन का निर्यात करने का वचन दिया जाए।

Foreign equity remittance to India by Pepsi Cola

2308. SHRI N. GIRI PRASAD:: Will the Minister of industry be pleased to state (a) Whether pepsico. Indian Holdings was approved and set up with the primary objective of promotion of new export projects, promotion of new joint ventures in export activities, investments in Food Processing Industries, investments in backward areas, linkages with farmers by any of the companies of Pepsico. Inc. in India, investments in beverage business-manufacturing, marketing and distribution, and investements in information technology and financial services investment in technology; and;

(b) if so, the details of appropriation of the foreign equity remitted to India on each of the objectives mentioned above, till date?

THE MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTR'S OFFICE (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI): (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the table of the House.

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नई योजनाएं

2309. **श्री रामजीलाल:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण लोगों के विकास के लिए इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस से नई योजनाएं आरंभ करने का निर्णय लिया है;